न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./76/2024

1. गजराज पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. गीता पत्नी मांगीलाल जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(फोत)
   2/1 जगदीश पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. सुखपाल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. सोहनी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. हीरालाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. कालू पुत्र मांगीलाल जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. अल्लाबंदी पुत्र मांगीलाल जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
3. घीसा पुत्र अलानूर जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
4. चेना पुत्र रमजू जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. बरजी पत्नी रमजू जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. बिश्मल्या पुत्र मांगीलाल जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
7. मदीना मंसूरी पुत्री मांगीलाल जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
8. लाली पुत्री मांगीलाल जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
9. मुन्नी पुत्र मांगीलाल जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
10. सत्तार पुत्र रमजू जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. सद्दीक पुत्र रमजू जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
12. सफी बानो पत्नी मांगीलाल जाति पिनारा निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
13. रामनाथ पुत्र रायमल जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–31.07.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री शिवचरण चौधरी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा करांटी पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 119 में दर्ज खसरा नम्बर 2335 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.31, खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.30 और खसरा नम्बर 2340 रकबा 0. 29 कुल किता 05 कुल रकबा 1.19 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 13 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 14 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01, 04, 05 तथा 10लगायत 13 की नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

भी अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 01, 04, 05 तथा 10लगायत 13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 02, 03, 06, 07, 08 तथा 09 का नाम पत्रावली से विलोपित करने बाबत् प्रार्थना–पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया। उक्त प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करने बाबत् पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। अतः प्रार्थना–पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 02, 03, 06, 07, 08 तथा 09 का नाम विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। प्रार्थना–पत्र में पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत आराजीयान में दर्ज सहखातेदार गीता पत्नी मांगीलाल फौत हो चुके है, तथा प्रार्थी जगदीश पुत्र मांगीलाल, अपनी माता गीता पत्नी मांगीलाल का एकमात्र वारिस है। बहस को आगे बढाते हुए वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 128 भू0रा0अधिनियम वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी के सहखातेदार गीता पत्नी मांगीलाल की मृत्यु हो चुकि है तथा प्रार्थी जगदीश द्वारा गीता के एकमात्र वारिस बताते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 भू0रा0अधिनियम पेश किया है। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम करांटी के खाता संख्या 119 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपत–पत्र के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण तथा जगदीश की माता की स्वयं खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली अन्तर्गत धारा 128 रा0का0अधिनियम मय शपथ–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा करांटी पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 119 में दर्ज खसरा नम्बर 2335 रकबा 0.14, खसरा नम्बर 2337 रकबा 0.31, खसरा नम्बर 2338 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 2339 रकबा 0.30 और खसरा नम्बर 2340 रकबा 0.29 कुल किता 05 कुल रकबा 1.19 हैक्ट**हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)